



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 16.02.2025

- महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की कड़ी कार्यवाही।
- थाना डेरापुर पुलिस टीम द्वारा पीड़िता के साथ छेड़खानी कर धमकी देने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना डेरापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 026/2025 धारा 74/351(2)/64 बीएनएस में वांछित था अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 10.02.2025 को पीड़िता के साथ छेड़खानी करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना डेरापुर पर मु0अ0सं0 026/2025 धारा 74/351(2) बीएनएस बनाम 01 नफर नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त में थाना डेरापुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 16.02.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त शैलेश कुमार पुत्र चन्द्रशेखर शर्मा निवासी ग्राम उरसान थाना डेरापुर कानपुर देहात को समय करीब 09.05 बजे प्रकाश ढाबा के पास थाना क्षेत्र डेरापुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शैलेश कुमार पुत्र चन्द्रशेखर शर्मा निवासी ग्राम उरसान थाना डेरापुर कानपुर देहात उम्र करीब 29 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 026/25 धारा 77/351(2)/64 बीएनएस थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली डेरापुर पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार
2. उ0नि0 श्री सुशील चन्द्र
3. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह
4. का0 123 रवेन्द्र कुमार
5. म0का0 1272 ऊषा